

ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड



पशुपालन करने वाले किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ ले सकते हैं

ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) तीन रूपों में

मौजूदा फसल किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एड-ऑन क्रेडिट सुविधा के रूप में

क्रेडिट सीमा :
3 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर होगी

विशिष्ट ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके लिए भूमि स्वामित्व और किसी प्रोसेसर टाई-अप की आवश्यकता नहीं

क्रेडिट सीमा :
2 लाख रुपये तक की कोलेटरल मुक्त

विशेष ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड कोलेटरल या प्रोसेसर टाई-अप के प्रमाण के आधार पर

क्रेडिट सीमा :
3 लाख रुपये तक की

सभी तीन रूपों के क्रेडिट कार्ड : कोलेटरल मुक्त क्रेडिट सीमा : 2 लाख रुपये तक
ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड : ब्याज सबवैशन केवल 2 लाख रुपये तक ही लागू है।

अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को आसानी से और कम ब्याज दरों पर ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले कर पूरा करें

कौन पात्र हैं ?

कुक्कुट और जुगाली करने वाले छोटे पशु-पालक किसान

किसान और कुक्कुट किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें भेड़ों / बकरियों / सूअरों / कुक्कुट पक्षियों / खरगोशों के टेनेंट किसान शामिल हैं और जिनके पास स्वयं के / किराए पर / लीज पर शेड हैं।



डेयरी किसान

किसान और डेयरी किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें टेनेंट किसान शामिल हैं और जिनके पास स्वयं के / किराए पर / लीज पर शेड हैं।

कार्यशील पूंजी ऋण के तहत, पशुपालन में पशु भोजन, पशु चिकित्सा सहायता, दुधारु पशुओं का बीमा, श्रमिक व्यय,

पानी और बिजली आपूर्ति की बार-बार होने वाली लागत शामिल हो सकती है।

आवेदन कैसे करें

आवेदक अपने पास की किसी भी बैंक शाखा में जा कर कागज पर छपा आवेदन पत्र भर कर जमा कर सकते हैं

1

ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड पूरा भरा आवेदन पत्र को जमा करने के 15 दिनों के अन्दर बैंकों द्वारा जारी कर दिया जायेगा

2

दिशानिर्देशों के अनुसार पहचान पत्र, हाल की फोटो और पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र बैंक में जमा करना होगा

3

ए एच डी एफ किसान क्रेडिट कार्ड के लिये 3 लाख रुपये तक की सीमा के लिये प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी गई है

विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें

विवरण के लिए
क्यू आर कोड स्कैन करें



पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार